भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2046

30 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

पीएमएवाई-यू के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के लिए निधि आवंटन

†2046. श्री श्रीभरत मतुकुमिल्लीः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (पीएमएवाई-यू) के अंतर्गत स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई केंद्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार विशेष कर आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम जिले के लिए स्वीकृत, निर्माणाधीन और पूर्ण किए गए आवासों की संख्या कितनी है;

(ख) देश में स्वीकृत मकानों की आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक संख्या में से एक होने के बावजूद राज्य में पूर्णता दर कई अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम रहने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह अंतर जारी की गई केंद्रीय निधि की कमी, राज्य स्तर पर निधि के उपयोग में देरी, भूमि से संबंधित मुद्दों, ठेकेदार के खराब प्रदर्शन या तकनीकी/नियोजन क्षमता की बाधाओं के कारण है और यदि हां, तो राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश की जिला-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) विशाखापत्तनम सहित संपूर्ण आंध्र प्रदेश में आवासों के लंबित निर्माण को शीघ्र पूर्ण करने के लिए समयबद्ध कार्य-योजना यदि कोई है, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या किसी अतिरिक्त वित्तीय या तकनीकी सहायता देने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ङ) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय देश भर में पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक जन-सुविधाओं के साथ सभी मौसमों के अनुकूल पक्के घर प्रदान करने के लिए

25.06.2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) को लागू कर रहा है। पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन के अनुभवों से मिली सीख के आधार पर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने योजना को नया रूप दिया है और 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों की सहायता करने के लिए देश भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है। योजना के दिशा-निर्देशों को https://pmay-urban.gov.in/uploads/guidelines/Operational-Guidelines-of-PMAY-U-2.pdf पर देखा जा सकता है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव के आधार पर, मंत्रालय द्वारा पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत कुल 127.68 लाख आवासों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इनमें से 121.03 लाख आवासों का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और 13.07.2026 तक की स्थिति के अनुसार, देश भर में 99.07 लाख आवास पूर्ण हो चुके हैं/सुपुर्द किये जा चुके हैं। पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत 23,383 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता के साथ देश भर में कुल 16.20 लाख आवासों को स्वीकृति प्रदान की गई है।

पीएमएवाई-यू को केवल 31.03.2024 को या उससे पहले स्वीकृत आवासों को और 31.12.2025 को या उससे पहले शुरू किये गए आवासों को पूरा करने के लिए 30.09.2026 तक बढ़ा दिया गया है। आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, पीएमएवाई-यू के तहत कुल 19.07 लाख आवासों को स्वीकृति प्रदान की गई, जिनमें से 3.71 लाख आवास अभी तक शुरू नहीं हुए हैं। शुरू किए गए 15.36 लाख आवासों में से अब तक कुल 11.38 लाख आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है और 10.75 लाख आवासों पर कब्जा दे दिया गया है।

पीएमएवाई-यू के तहत, राज्य शुरू किए गए आवासों के लिए अधिकतम 23,507.44 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता के लिए पात्र है। हालांकि, राज्य को 23,665.79 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता पहले ही जारी की जा चुकी है, जिसके परिणामस्वरूप 158.35 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि जारी की जा चुकी है। तदनुसार, आंध्र प्रदेश सरकार से मंत्रालय द्वारा जारी की गई अतिरिक्त राशि वापस करने का अनुरोध किया गया है। इसके अलावा, राज्य सरकार के पास उपलब्ध किसी भी अतिरिक्त राशि को पीएमएवाई-यू/पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत आगे जारी की गई राशि के साथ समायोजित किया जाता है।

पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत, आंध्र प्रदेश राज्य में कुल 61,084 आवासों को स्वीकृति प्रदान की गई, जिनमें से 43,947 आवासों का निर्माण कार्य शुरू किया जा चुका है। इनमें से 1,980 आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है/लाभार्थियों को सुपुर्द कर दिया गया है। इसके अलावा, 882.32 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता स्वीकृत की गई है, जिसमें से 406.39 करोड़ रुपये राज्य को जारी किए गए हैं।

विशाखापत्तनम जिले के लिए कुल 1,87,595 आवासों को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनमें से 49,270 आवासों का निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है। 1,36,908 शुरू किए गए आवासों में से 1,09,094 पूरे हो चुके हैं। प्रतिबद्ध केंद्रीय सहायता 2,930 करोड़ रुपये है, जिसमें से 2,289 करोड़ रुपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं। आन्ध्र प्रदेश सहित देश भर में योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई केन्द्रीय सहायता के साथ-साथ स्वीकृत, निर्माणाधीन और पूरे किए गए आवासों का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है। योजना की प्रगति को पीएमएवाई-यू डैशबोर्ड (https://dashboard.pmay-urban.gov.in) पर भी देखा जा सकता है।

आवासों/परियोजनाओं को पूरा करने की समय-सीमा अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होती है और आमतौर पर स्कीम के विभिन्न घटकों में और संबंधित परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के अनुसार 12-36 महीने लगते हैं।

आंध्र प्रदेश राज्य और विशाखापट्टनम सहित आवासों के निर्माण कार्य को पूरा करने की समय-सीमा विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है जैसे विवाद-रहित भूमि की उपलब्धता, राज्यों और लाभार्थियों की वित्तीय बाधाएं, ट्रंक अवसंरचना से संबंधित मुद्दे, निर्माण सामग्री की लागत में वृद्धि, सांविधिक स्वीकृतियां/अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने में विलंब और अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण उत्पन्न व्यवधान। मंत्रालय योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी करने और निर्धारित समय सीमा के भीतर स्वीकृत आवासों को पूरा करने और अधिभोगिता में तेजी लाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित समीक्षा करता है।

दिनांक 30-07-2026 को लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2046 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत शुरूआत से अब तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार भौतिक और वित्तीय प्रगति का विवरण

क्रम सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का नाम	शुरूआत से अब तक वास्तविक प्रगति और वित्तीय प्रगति					
		आवास (संख्या)			केंद्रीय सहायता (करोड़ रुपए में)		
		स्वीकृत	निर्माणाधीन	पूर्ण/सुपुर्द किए गए	अनुमोदित	जारी की गई राशि	उपयोग की गई
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	261	261	234	4.11	3.72	2.88
2	आंध्र प्रदेश	19,67,971	18,70,787	11,38,126	29,998.47	24,072.20	23,516.10
3	अरुणाचल प्रदेश	14,287	13,005	9,495	315.84	241.70	220.54
4	असम	2,21,943	1,84,600	1,48,507	3,745.19	2,589.04	2,495.70
5	बिहार	4,66,855	4,25,630	2,02,188	7,233.78	5,023.48	4,478.86
6	चंडीगढ़	1,286	1,286	1,286	28.88	28.88	28.88
7	छत्तीसगढ़	3,46,253	3,08,753	2,68,384	5,451.02	4,698.44	4,317.81
8	डीएनएच और डीडी	10,712	10,712	10,454	217.05	211.18	203.30
9	दिल्ली	33,625	33,625	33,625	705.42	705.42	705.41
10	गोवा	3,180	3,180	3,180	74.88	74.88	74.88
11	गुजरात	11,35,670	10,40,736	9,93,987	22,636.54	20,571.78	20,132.74
12	हरियाणा	1,36,108	87,475	74,658	2,473.67	1,692.00	1,579.95
13	हिमाचल प्रदेश	14,034	13,429	12,142	244.91	228.67	214.49
14	जम्मू और कश्मीर	45,982	43,907	35,961	734.44	544.40	524.53
15	झारखंड	2,43,343	2,10,794	1,70,450	3,814.87	3,215.92	3,066.03
16	कर्नाटक	5,78,080	4,98,868	4,06,720	9,700.42	7,778.04	7,454.11
17	केरल	1,62,251	1,55,725	1,43,267	2,701.65	2,500.31	2,426.83
18	लद्दाख	1,138	1,071	1,009	33.63	26.74	19.65
19	मध्य प्रदेश	10,39,941	9,98,165	9,10,322	16,984.38	16,101.17	15,665.11
20	महाराष्ट्र	13,84,240	12,16,585	10,74,552	25,358.64	20,446.21	19,988.54
21	मणिपुर	56,047	51,225	24,046	867.95	614.80	553.11
22	मेघालय	8,692	4,580	3,138	160.83	85.05	53.96
23	मिजोरम	40,704	39,361	34,262	635.91	534.13	520.53

24	नागालैंड	37,223	32,164	30,228	630.52	496.98	433.31
25	ओडिशा	2,37,116	2,01,292	1,74,404	3,681.50	2,916.21	2,608.64
26	पुडुचेरी	19,752	19,269	12,923	337.93	273.86	226.65
27	पंजाब	1,58,768	1,35,494	1,05,497	2,714.22	2,197.59	1,922.97
28	राजस्थान	3,80,646	3,44,873	2,76,804	6,662.95	5,858.36	5,481.00
29	सिक्किम	301	301	220	5.91	5.91	5.91
30	तमिलनाडु	6,85,715	6,73,709	6,32,085	11,238.61	10,891.76	10,690.10
31	तेलंगाना	3,89,372	2,73,453	2,29,673	6,552.38	4,168.95	3,940.59
32	त्रिपुरा	92,213	88,966	82,942	1,516.78	1,374.81	1,342.97
33	उत्तर प्रदेश	21,60,179	20,41,278	17,25,799	33,628.24	30,248.01	28,827.05
34	उत्तराखंड	67,089	65,866	56,244	1,220.92	1,114.36	1,070.64
35	पश्चिम बंगाल	6,27,055	6,11,396	5,38,363	10,085.96	8,962.76	8,830.38
कुल		128 लाख	121 लाख~	99 लाख~	2.12 लाख करोड़	1.81 लाख करोड़	1.74 लाख करोड़

~ जेएनएनयूआरएम के पूर्ण (3.42 लाख और निर्माणाधीन (4.01 लाख) आवास शामिल हैं